न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्रसोनी आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भागीरथ पुत्र रामुराम जाति विश्नोई निवासी आरवा तहसील चितलवाना जिला जालोर		जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 04/2019

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

1.श्री सिकन्दर अली अभिभाषक अपीलान्ट।

2-श्री ओमप्रकाश चौयल, प्रर्वतन अधिकारी

निर्णय

दिनांक:-25.06.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2017 अनवान सरकार बनाम भागीरथ पुत्र रामूराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम आरवा में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 35/2017 सरकार बनाम भागीरथ निर्णय दिनांक 07.11.2017 के जरिये अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपीलांट भागीरथ को ग्राम आरवा व वेडिया तहसील चितलवाना में उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न वितरण करने के लिए परमिट संख्या 73 दिनांक 23.10.2001 प्राधिकृत पत्र संख्या 141 दिनांक 16.11.1995 को जारी किया हुआ था। भैराराम पुत्र भीयाराम विश्नोई निवासी आरवा ने राजनेतिक द्वेष से अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 04.03.2017 को जिला कलेक्टर जालोर को रिपोर्ट पेश कि थी, जिसकी जांच के आदेश जिला रसद अधिकारी जालोर को दिनांक 08.03.2017 को दिये थे तथा जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा जांच करने के बाद अपीलांट का प्राधिकृत पत्र दिनांक 07.11.2017 को बिना सुनवाई का अवसर दिये अदालत मातहत ने गलतरूप से निरस्त किया है। अदालत ने अपीलांट को सुने बिना गलतरूप से निर्णय करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। दिनांक 19.04.2017 को निरीक्षक महोदय द्वारा मौका रिपोर्ट बनाते समय ग्रामवासियो ने दुकान की वितरण व्यवस्था सही होना, समय पर दुकान खोलना तथा प्रतिमाह समय पर राशन वितरण करना बताया था फिर भी इन तथ्यो पर बिना गौर किये अदालत मातहत ने अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलांट ने पहले भी भैराराम द्वारा गलत रिपोर्ट करने पर स्पष्टीकरण दिया था, फिर भी इस बार अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये प्राधिकृत पत्र निरस्त करने के आदेश देने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलांट लम्बे समय से गांव आरवा में खुदरा विक्रेता का कार्य करता आ रहा है तथा अपीलांट का कार्य हमेशा सन्तोषजनक रहा है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी ग्रामवासी की कभी कोई शिकायत पूर्व में नही रही है। इस प्रकरण में अपीलांट को बिना नोटिस साक्ष्य सबूत व जबाब पेश करने का मौका दिये बगैर दिनांक 07.11.2017 को प्राधिकार पत्र निरस्त

जिला कलेक्टर,जालोर

करने के आदेश जिला रसद अधिकारी जालोर ने दिये है, जो आदेश विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को प्राधिकृत पत्र बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट की बिना जानकारी के दिनांक 07.11.2017 को निरस्त किया है जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.02.2019 को जालोर आने पर हुई तब अपीलांट ने नकल मांगी तथा नकल तैयार होने पर अपील खर्चे का इंतजाम करके यह अपील पेश की है, जिससे निर्णय की जानकारी दिनांक 12.02.2019 से अपील अन्दर म्याद पेश है, फिर भी किसी तरह की देरी मानी जावे तो निर्णय की पूर्व में जानकारी नही होने से देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे, जिस हेतु अलग से भी प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए जिला रसद अधिकारी जालोर का निर्णय दिनांक 07.11.2017 को निरस्त करते हुए अपीलांट का प्राधिकृत पत्र संख्या 141 दिनांक 16.11.1995 परमीट संख्या 73 दिनांक 23.10.2001 को पुनः रिन्युअल करने का आदेश फरमावे।

बहस सुनी गई वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोराहते हुये कथन किया गया है कि जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2017 सरकार बनाम भागीरथ में अपीलांट को बिना नोटिस दिये ही दिनांक 07.11.2017 को आदेश पारित किया है। उक्त प्रकरणो की आदेशिकाओ में पुनः नोटिस जारी करने का लिखा हुआ है इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही हुआ है तथा नही नोटिस तामील हुआ है।अतःबिना सुनवाई के आधार पर जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा दिनांक 07.11.2017 को पारित किये गये आदेश को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रर्वतन अधिकारी जालोर ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलांट के विरूद्ध श्री भैराराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी आरवा तहसील चितलवाना द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश करने पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिसेज भिजवाये गये लेकिन अपीलांट सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुआ एवं ना ही किसी प्रकार का जबाब प्रस्तुत किया गया। अतः अपीलांट (राशन डीलर)पर लगाये गये आरोप सही साबित होने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वस्तु का विनियमन)आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, व 11 का उल्लघन किया जाना पाया जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनिय अपराध किया है।जिसके आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 07.11.2017 को पारित किया गया है जो विधि सम्मत है।अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे। रेस्पोडेन्ट की ओर से अपीलांट को दिये गये नोटिस की तामीली स्थिति रिपोर्ट पेश करने पर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय के अभिमत में निष्कर्ष इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। डीलर को जारी नोटिस दिनांक 06.06.2017 तथा प्राधिकार पत्र निलम्बन आदेश दिनांक 07.11.2017 में जिन अनियमितताओ का उल्लेख उनमें मुख्य रूप से जांच के समय मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड नहीं पाया गया, मौके पर 2 रजिस्टर एवं पोश मशीन के अतिरिक्त कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि भीमगुड़ा दुकान का स्टाक आरवा की मशीन से एवं आरवा का स्टॉक भीमगुडा की पोश मशीन से वितरण किया गया जो नियम के विपरीत है, दोनो दुकानो का अलग-अलग रजिस्टर संधारित नहीं किया गया, दोनों दुकानों की पोश मशीन से स्टॉक का मिलान करने पर स्टॉक में अन्तर पाया गया। दिनांक 23.05.2017 के आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए बार-बार नोटिस के डीलर द्वारा अपने बचाव में कोई विधि

जिला कलेक्टर,जालोर

सम्मत जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः डीलर द्वारा उपर वर्णित अनियमितताएं किया जाना सिद्ध है। तद्नुसार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वस्तु का विनियमन आदेश 1976 के अर्न्तगत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5, 8 व 11 का उल्लघन करने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधी सम्मत है। अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 07.11.2017 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 11.02.2019 को प्रस्तुत की गई है।जिसको देरी से प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त आधार भी प्रस्तुत नही किये है। तद्नुसार यह अपील म्याद बाहर भी है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः गुणावगुण के आधार पर तथा अपील म्याद बाहर होने से दोनो ही आधारों पर उपरोक्त अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर,
जालोर

न्यायालय कलक्टर जिला मजिस्ट्रेट जालोर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: